अध्याय - प्रथम

शोध - परिचय

अध्याय - प्रथम

शोध - परिचय

1.1 प्रस्तावना

किसी भी समाज की संरचना अनेक तत्वों से मिलकर होती है। सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर अनेक भौगोलिक, एतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, दार्शनिक एवं भाषायी कारको को समझने के लिए जो अत्याधिक महत्वपूर्ण कारक है,वह है शिक्षा। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा कारक है जो किसी भी समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए मानव को आवश्यक ज्ञान प्रयोजक की चेतना और विश्वास की भावना से ओत प्रोत करके मानव जीवन को अर्थपूर्ण साधन प्रदान करती है। शिक्षा ही मानव संसाधन के विकास का समग्र साधन है।

शिक्षा का विकास समाज के द्वारा होता है। साथ ही शिक्षा समाज की संरचना को निश्चित स्वरूप भी प्रदान करती है। एक प्रभावशाली सामाजिक शक्ति के रूप में शिक्षा को दो महत्व पूर्ण कार्य करने होते है। सामाजिक समायोजन एवं सामाजिक परिवर्तन। प्रथम कार्य का सम्पादन शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यो का संरक्षण करके करती है तथा द्वितीय कार्य ऐसी शक्तियो एवं विचारो को जन्म दे करके करती है जिनमें सामाजिक परिवर्तन की क्षमता हो।

1.1.1 शिक्षा का महत्व

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वभाविक सामंजस्य पूर्ण विकास में योग देती है। उसकी वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करते हैं, और उसके व्यवहार विचार और दृष्टिकोंण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकर होता है।

शिक्षा मनुष्य तथा समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाली विकास की सीढ़ी है। शिक्षा मानव के अंतर्गत वो यथार्थ एवं सत्य का परिचय कराती है। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा कोई समाज संस्कृति को जीवित रखता है एवं प्रसार करता है। यह सामाजिक समस्याओं को समझने एवं सामाजिक तनावों और परिवर्तनों को झेलने के लिए अपरिहार्य है। इसे ऐसा साधन भी माना जाता है जिसके द्वारा जनता की समान उत्पादकता बढ़ाती है और इस प्रकार जीवन स्तर ऊपर उठाता है। अच्छी सेहत व्यक्तित्व के समान विकास एवं बेहतर सामाजिक जीवन की दृष्टि से जीवन की गुणवत्ता का घनिष्ठ संबंध व्यक्ति की शैक्षिक स्थिति से होता है। शिक्षा किसी व्यक्ति की क्षमताओं को साकार करने की प्रक्रिया होती है तथा समाज के सामने उसकी स्वाभाविक योग्यताओं और रूचियों को उभारती है। शिक्षा के महत्व को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाविदों की परिभाङ्काओं को समझना आवश्यक है।

महात्मा गाँधी ने कहा है कि "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य में अन्तर्निहित शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता को प्रकाश में लाना है।"

रूसो ने कहा है कि "शिक्षा आनंददायक, तर्कमुक्त, संतुलित उपयोगी और प्राकृतिक जीवन के विकास की प्रक्रिया है।"

ओलपोर्ट के अनुसार "व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनो-शारीरिक तंत्रो का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातारवरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक उन्नयन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है।

1.1.2 शिक्षा आयोग एवं सिफारिशें

प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान एवं समानता के अवसर प्रदान नहीं किया जाता था। एसी स्थिति में शिक्षा मंण्डल द्वारा विभिन्न आयोगो का गठन किया गया। सन् 1854 में वुड डस्पेच प्रतिवेदन में यह कहा गया कि स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये प्रयास किए गये। भारत में स्त्री शिक्षा के महत्व को समझाते हुए सरकार ने लोकनिधि में बालिकाओं की शिक्षा के लिये सहायता देना प्रारंभ किया। विश्व विद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में डॉ.राधकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के महत्व एवं आवश्यकता पर बल दिया तथा इस आयोग में सबसे मुख्य बात महिलाओं को पुरूषों के समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने की थी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1958 में भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा पर विचार करने हेतु 'दुर्गा भाई देशमुख' की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने नारी शिक्षा पर संबंधित समस्याओं पर विचार कर अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। सभी राज्यो के लिये केन्द्र सरकार को स्त्री के लिए नीती निर्धारित कर इस नीती के क्रियान्वयन हेतु अधिक धन उपलब्ध कराना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रो में स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु विशेष प्रयास किये जाए। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधाए उपलब्ध कराई जाए। कोठारी कमीशन (1964) में बालिकाओ को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किये। बालिकाओ को विज्ञान शिक्षण की ओर प्रस्ति किया जाय। बालिकाओ हेतु छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीती 1986 में बालिका शिक्षा की समानता के लिये प्रोग्राम ऑफ एक्शन निर्धारित किया गया। जिसमें 1990 तक प्राथमिक स्तर एवं 1995 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर समयबद्व कार्यक्रम बनाया गया।और बालक एवं बालिकाओं के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीती 1986 पर जोर दिया गया कि महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन एक एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया गया तथा

महिलाओं की शिक्षा और विकास की पद्धति पर वार्षिक ट्रेनिंग कोर्स डिजाइन किया गया। महिला शिक्षा विभाग का प्रारंभिक प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 तथा पी.ओ.ए.1992 के प्रति जागरूक बनाना था। 12 विभाग आयोजित किये गये और 32 राज्यो एवं संघ शासित प्रदेशो से 352 निजी शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा और विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षको के रूप में तैयार किये गये। 1988-1996 के दौरान पूरे देश में 24 वर्कशॉप का संगठन किया गया। विभाग द्वारा 1989 में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू कर दिया। पाठ्यक्रमो के विभिन्न क्षेत्रो में महिलाओ के लिए जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।

1.1.3 शिक्षा एवं सह-शिक्षा के बीच संबंध

सह शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बालक एवं बालिकाओ को एक साथ शिक्षित किया जाता है। प्राचीन समय में यह प्रणाली केवल ग्रीस में थी। परंतु अब वर्तमान समय में यह प्रणाली देश के कई क्षेत्रो में लागू है। सह शिक्षा के द्वारा बालक एवं बालिकाओं के बीच मैत्री पूर्ण व्यवहार हाता है। सह शिक्षा सामजंस्य पूर्ण संबंध, सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। और इस प्रकार राष्ट्र की प्रगति में मदद करता है ।

स्वतंत्रता के बाद भारत में सह-शिक्षा की प्रकिया प्रारंभ हुई परंतु पिछडे वर्ग की महिलाओ के लिए स्कूलो में पढ़ने तथा शास्त्रो का अध्ययन करने के लिए अनुमति नहीं थी। राजाराम मोहन राय,जो कि एक समाज सुधारक एवं विद्वान थे। इन्होने बालिका शिक्षा के पक्ष में कई मिशन चलाये तथा इन्हे सफलता भी प्राप्त हुई। सह शिक्षा विश्व के लगभग सभी देशो में प्रचलित है। आज भारत के स्कूल, कॉलेज और विश्वद्यिालयो में सह-शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिससे अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास, मैत्री पूर्ण व्यवहार बालक-बालिकाओं में देखने को मिलता है। सह शिक्षा बालक एवं बालिकाओं को एक दूसरे को समझने में सहायता करता है। तथा इससे इनकी सोच व्यापक होती है। जिससे की इनके बीच में सामंजस्य पूर्ण संबंध बनते है।

1.1.4 शिक्षा के लाभ

व्यक्ति हमेशा अपनी किसी न किसी प्रकार की आवश्यकताओं से घिरा होता है। सामाजिक व मानसिक प्राणी होने के कारण वह अपनी अनेक प्रकार की पूर्ति करना चाहता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वह अपने भौतिक व सामाजिक संस्कृति वातावरण के साथ सम्पर्क स्थापित करता है। जब तक उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती,वह उसकी पूर्ति के लिये प्रयत्नशील रहता है तथा वह बैचेनी व तनाव में रहता है। बैचेनी की स्थिति कष्टदायक होती है अतः उसे दूर करने के लिये प्रयत्न करता है। व्यक्ति के इन प्रयासों को प्रेरक तथा चालक कहा जाता है। प्रयास करते समय व्यक्ति के सामने कई प्रकार की बाधाएँ आती है। जब वह बाधाओं को पार कर लेता है तथा उसकी आवयकता की पूर्ति हो जाती है तो उसकी तनाव व बैचेनी समाप्त हो जाती है। कभी–कभी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं भी होती है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भग्नाशा से पीड़ित हो जाता है। लम्बी अवधि तक भग्नाशा में रहने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वह बेहतर समायोजन करने में सक्षम नहीं हो पाती थी।

एक छात्र अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाता है, पर दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता और अपनी कम योग्यता के कारण वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है। इससे वह निराशा और असंतोष, मानसिक तनाव और संवेगात्मक संघर्ष का अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में वह अपने मौलिक लक्ष्य को त्यागकर अर्थात अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अपनी असफलता के प्रति ध्यान न देकर वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाता है। अब यदि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो वह अपनी परिस्थिति या वातावरण से 'समायोजन' कर लेता है। पर यदि उसे सफलता नहीं मिलती है, तो उसमें 'असमायोजन' उत्पन्न हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाया या परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना ही समायोजन कहलाता

है। यह समायोजन, व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार कहलाता है। यह समायोजन, व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता के अनुसार करता है।

जीन प्याजे ने समायोजन प्रक्रिया का विभिन्न प्रकार से अध्ययन किया है। स्वयं को या वातावरण को बदलने के लिये आत्मसातकरण एवं व्यवस्थापन पदों का प्रयोग किया है। सामाजिक वातावरण में तीव्र परिवर्तनों के बावजूद एक व्यक्ति अपने मूल्यों व व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता। इस विशे-ता को आत्मसातकरण कहा जाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपने मूल्य मानक सामाजिक संदर्भो से ग्रहरण करके मूल्यों में परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के बदलने के साथ करता है तो उसे व्यवस्थापक कहा जाता है। एक व्यक्ति को समाज में समायोजित होने के लिए दोनों युक्तियों का प्रयोग करना होता है। समायोजनों की प्रक्रिया में आवश्यकताओं एवं दवाबों के साथ तालमेल बैठाना आवश्यक होता है।

किसी भी देश की प्रगति में वहाँ की स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षित नारी समूह ही परिवार और समाज को सुसंकृत बनाती है। इस कारण मनु ने कहा था –'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमंते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जहाँ नारी को गौरव दिया जाता है, उसकी समाज के निर्माण में पुरूषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। वहाँ देवता निवास करते हैं।

हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी हमने एकता को राष्ट्रीय लक्ष्य माना है। इस प्रकार हम अनेकताओं को भूलकर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इस एकता को कायम रखने के लिए भारतवासियों के दृष्टिकोंण में परिवर्तन आवश्यक है। इस दिशा में शिक्षा ही महत्वपूर्ण दिशा निभा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के समान अवसर सभी बालक एवं बालिकाओं को दिये जाए।

मुझे ऐसा लगा कि क्या यही स्थिती सभी विद्यालयो की छात्राओं पर लागू होती है? इस प्रकार मुझे नरसिहंपुर जिले में यह शोध कार्य करने की प्रेरणा मिली तथा शोध कार्य इसी दिशा में एक प्रयास है।

1.1.6 सामाजिक समायोजन

हमारा जीवन चुनौतियों एवं संघर्षो से परिपूर्ण है। बालपन से हमें जीवन की विविध समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो जिस सीमा तक जितने बेहतर तरीके से समायोजन करता है। वह उतने ही बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त करता है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई मानव अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितिओं में समायोजन बनाये रखता है।

1.1.7 शैक्षणिक उपलब्धि

शैक्षणिक उपलब्धि शैक्षणिक उपलब्धि से तात्पर्य विद्यालयों में विषयों के परिक्षण स्तर का अनुमापन का प्रवीणता एवं कुशलता से परीक्षण होता है जो प्रायः शिक्षकों द्वारा किया जाता है। इसके मापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीयो के ज्ञानात्मक स्तर का मापन करना।

1.2 समस्या कथन

नरसिंहपुर जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा शासकीय सह शिक्षा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के सामाजिक समायोजन और शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन

1.3 शोध की आवश्यकता व महत्व

सामान्यतः कहा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् नारी की स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। नारी सजग एवं सचेत होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सफल रही है। परंतु इस तथ्य की सत्यता मात्र कुछ औद्योगिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक ही सीमित है। देश के शेष भागों में बालिकाएँ आज भी शिक्षा के प्रकाश से वंचित है। इसे प्रकाश में लाने के लिए इस क्षेत्र में निरंतर शोध की आवश्यकता है। क्योंकि

शिक्षित बालिकाएँ अपना समाज के साथ समायोजन उचित ढंग से करने में सक्षम हो सकेंगी। यह आवश्यक है कि सामाजिक, पर्यावरण, आर्थिक सीमाओं, सामाजिक समायोजन एवं अन्य कारणों का गहराई से अध्ययन कर ऐसे मूल कारकों की खोज की जाए जो बालिकाओं के पिछड़ेपन तथा सामाजिक असमायोजन का कारण बने हुए है। साथ ही इन्हे कारगर ढंग से बालिका शिक्षा एवं समायोजन के रास्ते से हटाया जा सके। देश की वैज्ञानिक प्रगति आर्थिक उन्नयन एवं सामाजिक समायोजन के लिए बालिकाओं की शिक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष है।

बालिकाओं में सामाजिक समायोजन का प्रातिशत निम्न होने का एक कारण उनकी आर्थिक स्थिति व सामाजिक वातावरण है, सामाजिक आर्थिक स्तर के अंतर्गत अभिभावकों का शैक्षिक स्तर उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता, परिवार की कुल मासिक आय, परिवार का आकार आदि आते हैं। यह सभी कारक बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। बालिकाओं की उपलब्धि की आवश्यकता के बने रहने से आशय लगातार आशा और प्रोत्साहन के मिलने से है। अर्थात् उनको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता रहना चाहिये। जिन बच्चों की उपलब्धि की आकांक्षा उच्च होती है। उनकी शिक्षा में उपलब्धि भी उच्च होती है। जिन बालिकाओं का आकांक्षा स्तर उच्च होता है वो प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक अभिप्रेरित रहते हैं। उपलब्धि के विकास में परिवार, वातावरण, विद्यालय व समाज इत्यादि तत्व सहायक होते हैं। यह बालिकाओं के मूल्यों एवं आकांक्षाओं के द्वारा बालिकाओं की उपलब्धि पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार बालिकाओं का सामाजिक समायोजन उनकी शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। अतः शोध कार्य इसी दिशा में एक प्रयास है।

1.5 शोध के उद्देश्य

1. शासकीय कन्या विद्यालय की छात्राओं का सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।

2. शासकीय सह शिक्षा विद्यालय की छात्राओं के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।
3. शासकीय कन्या विद्यालय की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
4. शासकीय सह शिक्षा विद्यालय की छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
5. शासकीय कन्या विद्यालय की छात्राओं एवं शासकीय सह शिक्षा विद्यालय की छात्राओं का सामाजिक समायोजन में अध्ययन करना।
6. शासकीय कन्या विद्यालय एवं सह शिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
7. छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक समायोजन में सहसंबंध का अध्ययन करना।

1.4 शोध की परिकल्पनाएँ

1. शासकीय कन्या विद्यालय एवं सह शिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. शासकीय कन्या विद्यालय एवं सह शिक्षा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक समायोजन में सार्थक सहसंबंध नहीं है।

1.6 शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

शैक्षिक उपलब्धि शैक्षणिक उपलब्धि शैक्षणिक उपलब्धि से तात्पर्य विद्यालयों में विषयों के परिक्षण स्तर का अनुमापन का प्रवीणता एवं कुशलता से परीक्षण होता है जो प्रायः शिक्षकों द्वारा किया जाता है। इसके मापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीयो के ज्ञानात्मक स्तर का मापन करना।

प्रस्तुत शोध में शैक्षिक उपलब्धि से आशय उच्चतर माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के कक्षा – दसवी के वार्षिक परीक्षाफल से है।

सामाजिक समायोजन

हमारा जीवन चुनौतियों एवं संघर्षो से परिपूर्ण है। बालपन से हमें जीवन की विविध समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो जिस सीमा तक जितने बेहतर तरीके से समायोजन करता है। वह उतने ही बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त करता है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई मानव अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितिओं में समायोजन बनाये रखता है।

समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई मानव अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितिओं में समायोजन बनाये रखता है।

शोध कार्य का सीमांकन

1. प्रस्तुत शोध मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले तक सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध में शासकीय कन्या विद्यालय एवं शासकीय सह शिक्षा विद्यालय को चयनित किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध में केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा ग्यारहवीं की छात्राओं को शामिल किया जायेगा।